

कार्यालय जिला अधिकारी रेशम गुना

2.10

सर्वप्रथम आवेदक से आवेदन लेते हैं उसके बाद पत्र आवक शाखा में आवक किया जाता है। उसके बाद संबंधित शाखा को आवेदन पत्र भेजा जाता है संबंधित शाखा द्वारा उक्त आवेदन पत्र नस्ति सहित नियंत्रण अधिकारी के मार्गदर्शन में निराकरण किया जाता है। तत्पश्चात निराकरण पत्र जावक शाखा में जावक किया जाता है। उसके बाद में आवेदक को सूचना भेजी जाती है।

2.11

मुख्य कार्यालय – आयुक्त रेशम, रेशम संचालनालय म.प्र. भोपाल

विभिन्न स्तरों पर कार्यालय केंपते

जिला कार्यालय – जिला प्रमुख रेशम जिला अध्यक्ष परिसर गुना

जनपद स्तरीय कार्यालय – जनपद गुना में

1. रेशम केन्द्र रोरी – तहसील गुना

2. रेशम केन्द्र बेहटाघाट – तहसील गुना

जनपद स्तरीय कार्यालय – जनपद आरोन

1. रेशम परियोजना रिजोदा – तहसील आरोन

जनपद स्तरीय कार्यालय – जनपद राघोगढ

1. शा.रीलिंग यूनिट राघौगढ – तहसील राघौगढ

जनपद स्तरीय कार्यालय – जनपद चांचौड

1. रेशम केन्द्र खटकिया – तहसील चांचौडा

जनपद स्तरीय कार्यालय – जनपद ईसागढ (अशोकनगर)

1. रेशम केन्द्र पचलाना – तहसील ईसागढ (अशोकनगर)

2. रेशम केन्द्र खिरियादेवत – तहसील ईसागढ (अशोकनगर)

जनपद स्तरीय कार्यालय – जनपद मुंगवाली (अशोकनगर)

1. रेशम केन्द्र अतरेज – तहसील मुंगावली (अशोकनगर)

जनपद स्तरीय कार्यालय – शिवपुरी

1. रेशम केन्द्र कोलारस – तहसील कोलारस (जिला – शिवपुरी)

2.12

कार्यालय खुलने का समय जिला रेशम कार्यालय गुना खुलने का समय 10.

30 सुबह

बन्द होने का समय 5.30 शाम।

जिला रेशम कार्यालय के अधीनस्थ इकाई/रेशम केन्द्र/ खुलने का
समय 8.00 बजे एवं बन्द होने का समय 5.00 बजे शाम।

3.1 निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध करावें :-

बैठक शाखा :

पद का नाम	सहायक संचालक रेशम
-----------	-------------------

शक्तियां	प्रशासकीय	जिला कार्यालय रेशम एवं अधीनस्थ रेशम केन्द्रों का नियंत्रण
	वित्तीय	—आहरण एवं संवितरण का अधिकार
	अन्य	—जिला स्तरीय समस्त बैठकों एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा आयोजित बैठकों में उपस्थित होना —रेशम विभाग की योजनाओं की जानकारी देना

कर्तव्य	1. कार्यालय का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से करना
	2. प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करना
	3. अधीनस्थ केन्द्रों का समय समय पर भ्रमण व निरीक्षण करना
	4. वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन करना

पद का नाम	फील्ड आफीसर रेशम
-----------	------------------

शक्तियां	प्रशासकीय	—
	वित्तीय	—
	अन्य	—जिला अधिकारी रेशम गुना द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना — जिला कार्यालय रेशम गुना में मासिक बैठक में उपस्थित होना व केन्द्र की रेशम गतिविधियों के बारे में जानकारी देना

कर्तव्य	1. केन्द्र व कार्यक्षेत्र के लिये निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धियों हेतु वार्षिक एक्शन प्लान बनाकर अनमोदन हेतु जिला अधिकारी रेशम गुना को प्रस्तुत करना
	2. उद्यान में पत्ति उत्पादन का अनुमान लगाकर कृमीपालन कार्यक्रम बनाना व आवश्यक मूल भूत सुविधाओं के लिये व्यवस्था हेतु जिला अधिकारी रेशम को प्रस्तुत करना।
	3. योजना के प्रचार प्रसार हेतु सतत प्रत्यन्शील रहना।
	4. केन्द्र के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों में समन्वय स्थापित कर योजना अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करना।
	5. कार्य संबंधित तकनीकी डेटा कक्ष का संकलन विश्लेषण एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

4.1

अभिलेख का नाम :

1. गोपनीय कक्ष
2. सामान्य कक्ष
3. स्थापना कक्ष
4. बजट एवं लेखा परीक्षण कक्ष
5. लेखा, बिल, एवं केशकक्ष
6. डेटा बैंक एवं योजना कक्ष
7. विस्तार एक्सटेंशन कक्ष
8. समन्वय कक्ष
9. मूलभूत सुविधा कक्ष
10. प्रचार एवं विपणन कक्ष
11. गवेषणा व विश्लेषण कक्ष
12. प्रशिक्षण कक्ष

अभिलेख का प्रकार

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम, विनियम, अनुदेश,
निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :-

1. गोपनीय कक्ष – शिकायत, जॉच, व विभागीय कार्यवाही (अराजपत्रित)
2. सामान्य कक्ष– आवक, जावक, वर्दी आदि का प्रदाय, अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन
3. स्थापना कक्ष– पदोन्नति, स्थानान्तरण, चार्ज रिपोर्ट रीलिविंग व ज्वाइनिंग, अवकाश प्रकरण, सेवानिवृत्ति तथा पेंशन प्रकरण, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति, व्यक्तिगत नस्तीयों का संधारण
4. बजट एवं लेखापरीक्षण– नवीन योजना व्यय का प्रस्ताव, बजट प्रावधानका जिला कार्यालय को आवंटन, लेखामिलान, पी.डी. एकाण्ट, आय व्यय पत्रको का संकलन, ऋण तथा अग्रिम की स्वीकृति, महालेखाकार के लेखा परीक्षण के आपत्तियों का निराकरण
5. लेख बिल तथा केशकक्ष– अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र, बिल बुक, टीएबिल, मेडिकल बिल आहरण हेतु बिल तैयार करना, आहरण केश वितरण केश तथा व्हाउचर को विधि व सुरक्षित रखना। सामान्य भविष्य निधि पंजी, लेखा मिलान,
6. डेटा बैंक योजना कक्ष– वार्षिक योजना भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण सर्वेक्षण योजना, संबंधी समस्त मिंटीग कार्य प्रक्रिया संबंधी निर्देश प्रसारित कराना।
7. विस्तार कक्ष– मॉडल स्कीम, हितग्राहियों को प्रशिक्षण कराना, चयनित हितग्राहियों को कृमिपालन उपकरण का प्रदाय एवं वित्तीय सहायता हेतु प्रकरण, रिलिंग यूनिट प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण योजना का क्रियान्वयन, कृषकों निजी क्षेत्र मं पोध रोपण, हितग्राहियों को कलमों का प्रदाय।
8. समन्वय कक्ष– लोकसभा विधान सभा प्रश्न, शासन संचालक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भ्रमण अथवा अन्य टीप पर अनुवर्ती कार्यवाही, शिकायत पर अनुवर्ती कार्यवाही, लंबित प्रकरण की रिपोर्ट का संकलन, परीक्षण, अनुवर्ती कार्यवाही।

9. मूलभूत सुविधा कक्ष- नये स्वीकृत केन्द्रों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही केन्द्रों की मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव, कृमिपालन हेतु बीज की व्यवस्था, कृमिपालन उपकरणों का क्रय प्रदाय, केन्द्रों को विद्युत सफलाई एवं कलमों का प्रदाय, प्लान्टस एवं मशीनरी संबंधी प्रकरण।
10. प्रचार एवं विवणन कक्ष- प्रदर्शनी मेला, राष्ट्रीय पर्व पर रेशन योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार हेतु स्टाल लगाना, रेशन योजनाओं की उपलब्धियों का समचार पत्र/आकशवाणी/दूरदर्शन पर प्रचार, योजना संबंधी फोटो फिल्म आदि तैयार करना। ककून, सिल्क विक्रय हेतु निविदये आमंत्रित करना व अनुवर्ती कार्यवाही।
11. गवेषण एवं विश्लेषण कक्ष- कृमियों की प्रजातियों/गुणों का आंकलन, अध्ययन भ्रमण दल की अनुशासाओं का परिक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही।
12. प्रशिक्षण कक्ष- नियोजित कर्मचारियों को पी.जी.डी.एस/लघु अवधि/रिफ्रेशर कोर्स हेतु मनोनित करना राज्य व राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु कर्मचारियों कृषकों का चयन, विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रशिक्षित कर्मचारियों की पंजी का संधारण, वर्कशाप, सेमीनार।

नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशित और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं, पता

.....

दूरभाष
 फैक्स
 ई-मेल
 अन्य

नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशित और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

.....

5.1 जिला रेशम कार्यालय गुना

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जानता कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	स्वल्म्बन योजना अन्तर्गत हितगोहियों का चयन	हाँ	सूचना
2			
3			

5.2 जिला रेशम कार्यालय गुना

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जानता कि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	स्वल्म्बन योजना अन्तर्गत हितगोहियों का चयन	हाँ	सूचना
2			
3			

6.1

क्रं. स.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	स्थापना संबंधी	बयोडाटा कर्मचारियों से संबंधी सम्पूर्ण जानकारी	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार	जिला अधिकारी रेशम गुना
2	लेखा संबंधी	केशबुक आहरण संबंधी जानकारी	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार	जिला अधिकारी रेशम गुना
3	तकनीकी संबंधी	चल रही रेशम योजना की जानकारी	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार	जिला अधिकारी रेशम गुना
4	प्रशिक्षण कक्ष	कर्मचारी / हितग्राही प्रशिक्षण	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार	जिला अधिकारी रेशम गुना
5	स्टोर्स कक्ष	भण्डार कार्यालय में उपलब्ध जानकारी	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार	जिला अधिकारी रेशम गुना

7.1

संबद्ध संस्था का नाम व पता : सिल्क फेडरेशन भोपाल

संबद्ध संस्था का प्रकार : फेडरेशन

संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

केन्द्रों से ककून प्राप्त करना व ककून बैंक के माध्यम से क्रय ककून
। हितग्राहियों को भुगतान करना व प्राप्त ककून को रिलिंग फैक्ट्री
को भेजना

संबद्ध संस्था की भूमिका –प्रबंधीकारणी

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य– जिले में ककून बैंक खटकिया

मुख्य अधिकारी का नाम – सहायक संचालक रेशम

मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– जिला स्तर पर प्रबंधक

–मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक

बैठक की आवृत्ति – निरंक

क्या बैठक में जनता भाग ले सकती – हाँ

क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार की जाती है – हाँ

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है – हाँ

8.1

लोक प्राधिकरण का नाम – जिला रेशम कार्यालय गुना

क्र.	केटेगरी	नाम	पदनाम	कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	प्ता
					कार्या.	निवासी			
1	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री डी.के. गुप्ता	फील्ड ऑफीसर			93011275 78			रघुवंशी कॉलोनी गुना

क्र.	केटेगरी	नाम	पदनाम	कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	प्ता
					कार्या.	निवासी			
1	लोक सूचना अधिकारी	श्री ए.के. थापर	सहायक संचालक रेशम	0754 2 0759 2	गुना विदिश T	253436 234620	25343 6 23462 0		राजीव नगर विदिशा

क्र.	केटेगरी	नाम	पदनाम	कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	प्ता
					कार्या.	निवासी			
1	विभागीय अपीलेट अथोरिटी	श्री योगेश कुमार मालवीय	सहायक संचालक रेशम	0755	भोपाल 25507 48		25507 48	Seri bpl @ m.p. nic.i n	मुख्याल य भोपाल

9.1

सर्वप्रथम पत्र को आवक किया जाता है उसके बाद आवक शाखा उक्त पत्र को संबंधित शाखा में प्रदाय करता है। संबंधित उक्त पत्र को नस्ती सहित जिला अधिकारी रेशम गुना के पास प्रस्तुत करता है जिला अधिकारी रेशम गुना द्वारा निराकरण किया जा कर पत्र जावक शाखा में भेजा जाता है।

9.2 निर्णय लेने के संबंधित दस्तावेज व जानकारियों जो कार्यालय में उपलब्ध हो या अन्य कार्यालय से मंगाकर प्रमाणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के निराकरण अन्तर्गत यदि प्रकरण का निराकरण सहायक लोकसूचना के अधिकार क्षेत्र में हो तो सहायक लोकसूचना अधिकारी द्वारा निराकरण किया जाता है अथवा सहायक लोकसूचना के कार्य क्षेत्र से बाहर होने पर निर्णय हेतु लोक सूचना अधिकारी अधिकृत हे तद्उपरांत अंतिम निर्णय हेतु अपील अधिकारी निर्णय हेतु अधिकृत है।

9.3

अंतिम निराकरण होने के पश्चात आवेदक को कार्यालय स्तर से डाक द्वारा सूचना से अवगत करा दिया जात है।

9.4

जनपद स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्यलाय स्तर पर अपीलीय अधिकारी प्राधीकृत है।

9.5

मुख्यलाय स्तर पर अपीलीय अधिकारी

9.6 जिला रेशम कार्यालय जिला गुना

विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाता है)	सहायक लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रण से बाहर
दिशा – निर्देश (यदि हो तो)	
निर्णय लेने की प्रक्रिया	
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	

10.1 जिला रेशम कार्यालय जिला गुना

जनपद गुना

क्र.	नाम	पदनाम	एस.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर. सी. शर्मा	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	07542		989364 2642			रेशम केन्द्र बेहटाघाट
2	श्री डरू सिंह	फील्डमैन			930128 0644			बेहटाघाट
3	श्रीमति अर्चना छारी	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक			982663 8339			बेहटाघाट
4	श्री. डी.के. गुप्ता	फील्ड आफीसर			930112 7578			रे.के. रोरी

जनपद –आरोन

क्र.	नाम	पदनाम	एस.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर. के. श्रीवास्तव	फील्डमैन			932981 5455			रिजौदा
2	श्री राकेश शर्मा	टापरेटीव			930004 8938			रिजौदा

,जनपद –चांचौडा

क्र.	नाम	पदनाम	एस.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री पी. एस. प्रजापति	फील्ड आफीसर			982651 4684			खटकिया
2	श्री अमृतलाल	फील्ड मैन						खटकिया

जनपद –ईसागढ (अशोकनगर)

क्र.	नाम	पदनाम	एस.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री राधेश्याम	आपरेटिव			992661 4641			रे.के. पचलाना
2	श्री पी.बी पचोरी	प्रदर्शक			992624 9418			रे.के. खिरिया देवत
3	श्री बादाम सिंह	आपरेटिव						रे.के. खिरिया देवत

जनपद –मुंगावली (अशोकनगर)

क्र.	नाम	पदनाम	एस.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीरामजी लालराठौर	फील्डमैन			997788 2744			रेशम केन्द्र अतरेजी

जनपद –कोलारस (शिवपुरी)

क्र.	नाम	पदनाम	एस.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्याल य	आवास			
1	श्री एच. एस. सोनी	फील्ड आफीसर			992695 9068			रेशम केन्द्र कालोरस
2	श्री एस. एम. सिद्धिकी	कनिष्ट रेशम निरीक्षक						रेशम केन्द्र कालोरस
3	श्री दिनेश दुवे	फील्डमैन			989319 7622			रेशम केन्द्र कालोरस

11.1 जिला रेशम कार्यालय जिला गुना
अगस्त 2007 की स्थिति में

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	परितोषिक / परितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1.	श्री पी.एस. सैंगर	सहायक ग्रेड-3	4900	3920	म.प्र. शासन द्वारा
2.	श्री एन.के. शर्मा	सहायक ग्रेड-3	4540	3632	म.प्र. शासन द्वारा
3.	श्री अनिल दोहरे	सहायक ग्रेड-3	4220	3332	म.प्र. शासन द्वारा
4.	श्री नरेन्द्र साहू	सहायक ग्रेड-3	3725	2981	म.प्र. शासन द्वारा
5.	श्री नारायण सिंह कुशवाह	वाहन चालक	4140	3312	म.प्र. शासन द्वारा
6.	श्री देवीदयाल राठोर	भृत्य	3280	2624	म.प्र. शासन द्वारा
7.	श्री प्यारेलाल	भृत्य	3475	2781	म.प्र. शासन द्वारा
8.	श्री एस.के. जैन	फील्ड ऑफिसर	7850	6250	म.प्र. शासन द्वारा
9.	श्री एच.एस.सोनी	फील्ड ऑफिसर	7850	6250	म.प्र. शासन द्वारा
10.	श्री डी.के. गुप्ता	फील्ड ऑफिसर	7075	5661	म.प्र. शासन द्वारा
11.	श्री पी.एस. प्रजापति	फील्ड ऑफिसर	7950	6360	म.प्र. शासन द्वारा
12.	श्री आर.सी. शर्मा	व.रे.नि.	6125	4901	म.प्र. शासन द्वारा
13.	श्री एस.एम. सिद्दीकी	क.रे.नि.	6000	4800	म.प्र. शासन द्वारा
14.	श्रीमति अर्चना छारी	क.रे.नि.	5100	4080	म.प्र. शासन द्वारा
15.	श्री आर.डी. गुप्ता	क.रे.नि.	5300	4240	म.प्र. शासन द्वारा
16.	श्री पी.व्ही. पचौरी	प्रदर्शक	4540	3672	म.प्र. शासन द्वारा
17.	श्री डरू सिंह	फील्डमेन	3800	3040	म.प्र. शासन द्वारा
18.	श्री आर.सी.श्रीवास्तव	फील्डमेन	4460	3568	म.प्र. शासन द्वारा
19.	श्री दिनेश दुबे	फील्डमेन	3950	3160	म.प्र. शासन द्वारा
20.	श्री अमृतलाल मीना	फील्डमेन	3725	2981	म.प्र. शासन द्वारा
21.	श्री रामजीलाल राठोर	फील्डमेन	3875	3101	म.प्र. शासन द्वारा

22.	श्री राकेश शर्मा	आप्रेटिव्ह	3590	2872	म.प्र. शासन द्वारा
23.	श्री राधेश्याम	आप्रेटिव्ह	3345	2677	म.प्र. शासन द्वारा
24.	श्री बादाम सिंह	आप्रेटिव्ह	3280	2624	म.प्र. शासन द्वारा

12.1 जिला रेशम कार्यालय गुना
जिला गुना वर्ष 2005-06

क्र. स.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट (लाख में)	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशत में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	सामान्य योजना	31 हितग्राहियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	जुलाई 05	मार्च 06	0.45 लाख	0.45 लाख	—	8000	सहायक संचालक गुना
2.	सामान्य योजना	5 एकड़ क्षेत्र में शहतूत पौध रोपण	अगस्त 05	दिसम्बर 02	0.50 लाख	0.45 लाख	0.45 लाख	0.20	केन्द्र प्रभारी
3.	सामान्य योजना	नलकूप खनन रेशम केन्द्र रोरी	अक्टूबर 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	केन्द्र प्रभारी
4.	सामान्य योजना	10 एकड़ निजी क्षेत्र में हितग्राहियों	अक्टूबर 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	केन्द्र प्रभारी

		को तकनीकी सहायता							
5.	विशेष घटक योजना	भवन मरम्मत रे.के.रोरी	अक्टूबर 05	मार्च 06	0.50 लाख	0.50 लाख	0.50 लाख	—	आर.ई.एस.
6.	विशेष घटक योजना	फेन्सिंग कार्य रे.के.रोरी	अक्टूबर 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	आर.ई.एस
7.	विशेष घटक	कन्वैरशन चार्ज के परोक्ष में 500 कि.ग्राम. धागा उत्पादन	अप्रैल 05	मार्च 06	0.75 लाख	0.75 लाख	0.75 लाख	0.30	ककून बैंक

जिला अशोकनगर

वर्ष 2005-06

क्र. स.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट (लाख में)	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	सामान्य योजना	नखनन रे.के. अतरेजी	अक्टूबर 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	आर.ई.एस
2.	सामान्य	कूप निर्माण	अक्टूबर	मार्च 06	1.00	1.00	1.00	—	आर.ई.एस

	योजना	रेशम केन्द्र पचलाना	05		लाख	लाख	लाख		
3.	विशेष घटक	रेशम केन्द्र पचलाना	अक्टूबर 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	आर.ई.एस

जिला शिवपुरी

वर्ष 2005-06

क्र. स.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट (लाख में)	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	सामान्य योजना	5 एकड़ शहतूत पौधो पर रे.के. कोलारस	जुलाई 05	दिसम्बर 05	0.50 लाख	45 लाख	45 लाख	10.00 लाख	केन्द्र प्रभारी
2.	सामान्य योजना	नलकूप खनन रे.के. कोलारस	अटू 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	आर.ई.एस.
3.	विशेष घटक	भवन मरम्मत	अक्टूबर 05	मार्च 06	0.50 लाख	0.50 लाख	0.50 लाख	—	आर.ई.एस.
4.	विशेष घटक	फेन्सी मरम्मत	अक्टूबर 05	मार्च 06	1.00 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख	—	केन्द्र प्रभारी

13.1

(1) कार्यक्रम योजना का नाम

निजी क्षेत्र में शहतूत विस्तार हेतु उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम कार्यक्रम योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा— वार्षिक

कार्यक्रम का उद्देश्य — शहतूत रेशम विस्तार से बैरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्य लक्ष्य 10 एकड़ निजी क्षेत्र में शहतूत पौधरोपण का लक्ष्य

लाभार्थी की पात्रता — वर्ष भर सुनिश्चित सिंचाई साधन की उपलब्धता पूर्ववेक्षाए — कम से कम पांच वर्ष तक विभागीय तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित हो

अनुदान / सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया — अनुदान प्रति एकड़

केन्द्रांश	राज्यांश	योग
------------	----------	-----

10750	8750	19500
-------	------	-------

पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड —

दिये जाने वाले अनुदान / सहायता का विवरण —

अनुदान/ सहायता के वितरण की प्रक्रिया —

आवेदन करने के लिये कहां/ किससे सम्पर्क करें— केन्द्र अधिकारी एवं जिला अधिकारी रेशम

आवेदन शुल्क — निरंक

अन्य शुल्क — अनुबंध पत्र हेतु स्टॉप पेपर अन्य व्यय

आवेदन पत्र का प्रारूप — भूमि/परिवार व उपलब्ध संसाधनों के विवरण युक्त आवेदन

संलग्नको की सूची — आवेदन पत्र प्रस्तावित भूमि की प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट, भूमि का खसरा/खतौनी नकल

संलग्नों का प्रारूप — रेशम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहा सम्पर्क करें— जिला अधिकारी रेशम कार्यालय गुना

उपलब्ध धन राशि का विवरण —

लाभार्थियों की सूची –

कार्यक्रम योजना का नाम –

(2) स्वावलम्बन योजना

कार्यक्रम योजना के प्रभावी रहने की समयसीमा –

वार्षिक

कार्यक्रम का उद्देश्य – बैरोजगारी उन्मूलन

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्य लक्ष्य– प्रति एकड़ 200 कि.ग्राम कोया उत्पादन का भौतिक लक्ष्य

लाभार्थी की पात्रता– भूमिहीन/बैरोजगार लघु कुषक महिला हितग्राही

पूर्ववेक्षण – विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों अनुसार कार्य करें

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया– रेशम केन्द्र/जिला रेशम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर

पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड– भूमिहीन/ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन का प्रमाण पत्र

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण चक्रीय राशि प्रति एकड़ी 6200

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया –हितग्राही समूह की बैठक में प्रस्ताव ठहराव स्वीकृत कर केन्द्राधिकारी व समूह अध्यक्ष द्वारा संयुक्त खाते से राशि का आहरण

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– केन्द्र अधिकारी एवं जिला अधिकारी रेशम

आवेदन शुल्क – निरंक

अन्य शुल्क–अनुबंध पत्र हेतु स्आम्प पेपर अन्य व्यय

आवेदन पत्र का प्रारूप – महिला हितग्राही द्वारा भूमिहीन /गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र संलग्न कर साधे कागज पर आवेदन करें

संलग्नको की सूची – निरंक

संलग्नकों का प्रारूप – जिला प्रशासन /राज्य शासन द्वारा मान्य प्रारूप

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहा सम्पर्क करें – जिला अधिकारी रेशम कार्यालय गुना

उपलब्ध धन राशि का विवरण – प्रति एकड़ 6200/- चक्रीय राशि रेशम केन्द्र पर उपलब्ध

13.1

(3) कार्यक्रम योजना का नाम

निजी क्षेत्र में अरण्डी से रेशम उत्पादन

कार्यक्रम योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा –

वार्षिक

कार्यक्रम का उद्देश्य – ईरीकल्चर को बढ़ावा देकर बैरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्य लक्ष्य- प्रति एकड़ रेशम उत्पादन 30 कि.ग्राम. रूप्ये 10500/-

-अरण्डी उत्पादन 10 क्विंटल 16000/-

-कुल योग 26500/-

लाभार्थी की पात्रता – कोई प्रतिबंध नहीं है

पूर्ववेक्षाएं- लाभार्थी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करें

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया चयनित कृषक अरण्डी पौधरोपण

पश्चात अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करें

पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड – कोई भी चयनित लघु व सीमांत कृषक

अनुदान प्राप्त करने का पात्र

दिये जाने वाले अनुदान/ सहायता का विवरण- प्रति एकड़ अनुदा

केन्द्रांश	राज्यांश	योग
3500	3500	7000

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया – लक्ष्य अनुरूप चयनित कृषक द्वारा

अरण्डी रेशम उत्पादन करने पर अनुदान प्रदाय किया जाता है।

आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें – केन्द्राधिकारी एवं जिला

अधिकारी रेशम

आवेदन शुल्क – निरंक

अन्य शुल्क – अनुबंध पत्र हेतु स्टाम्प पेपर अन्य व्यय

आवेदन पत्र का प्रारूप – भूमि परिवार व उपलब्ध संसाधनों के विवरण युक्त व

आवेदन

संलग्नको की सूची – आवेदन पत्र, प्रस्तावित भूमि की प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट
अनुबंध पत्र खसरा खतोनी नकल
संलग्नको का प्रारूप – रेशम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप
प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहा सम्पर्क करे – जिलाधिकारी रेशम,
कार्यालय गुना
उपलब्ध धन राश का विवरण –
लाभार्थियों की सूची –

गुना स्वावलम्बन योजना

क्र.	रेशम केन्द्र	महिला का नाम	जाति / सा. / अजा. / अजजा.
1.	खटकिया	ममता बाई	अ.जा.
2.	खटकिया	कांती बाई	अ.जा.
3.	खटकिया	बादाम बाई	अ.जा.
4.	खटकिया	सुनीता बाई	अ.जा.
5.	खटकिया	रामकली बाई	अ.जा.
6.	खटकिया	पुनीया बाई	पिछड़ा वर्ग
7.	खटकिया	कामा बाई	अ.जा.
8.	खटकिया	शांती बाई	अ.जा.
1.	राघौगढ़	शम्मी बाई	अल्पसंख्यक
2.	राघौगढ़	रूक्सना बाई	अल्पसंख्यक
3.	राघौगढ़	अनीशा बाई	अल्पसंख्यक
4.	राघौगढ़	बनीजा बाई	अल्पसंख्यक
5.	राघौगढ़	रेशमा बाई	अल्पसंख्यक
6.	राघौगढ़	रोहमन बाई	अल्पसंख्यक
7.	राघौगढ़	साभा बाई	पिछड़ वर्ग
8.	राघौगढ़	अफूथी बाई	पिछड़ वर्ग
9.	राघौगढ़	खुशी बाई	पिछड़ वर्ग
10.	राघौगढ़	रानी बाई	पिछड़ वर्ग

**अशोकनगर / शिवपुरी हितग्राहियों की सूची
स्वावलम्बन योजना**

क्र.	रेशम केन्द्र	महिला का नाम	जाति / सा. / अजा. / अजजा.
1.	पंचलाना	खुशी बाई	अ.जा.
2.	पंचलाना	कमला बाई	अ.जा.
3.	पंचलाना	गुड्डी बाई	अ.जा.
1.	खिरिया देवत	विजया बाई	पिछड़ा वर्ग
2.	खिरिया देवत	शांती बाई	पिछड़ा वर्ग
3.	खिरिया देवत	बेजन्ती बाई	पिछड़ा वर्ग
1.	अतरेजी	गोराबाई	अ.जा.
2.	अतरेजी	तुलसी बाई	अ.जा.
1.	कोलारस	दोपत बाई	अ.जा.
2.	कोलारस	रेखा बाई	पिछड़ा वर्ग
3.	कोलारस	नाराणी बाई	पिछड़ा वर्ग
4.	कोलारस	काशी बाई	पिछड़ा वर्ग
5.	कोलारस	उषा बाई	पिछड़ा वर्ग

निजी क्षेत्र अंतर्गत हितग्राहियों की सूची

विभाग द्वारा प्रदत्त क्र.	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
				गुना	गुना	मोहल्ला	मकान नं.
निजी क्षेत्र में मलबरी	दरदयाल सिंह	उमराव सिंह	मानक अनुसार	गुना	गुना	सिंगवासा	
	संतकुमार बिरथरिया	श्री रामसिया	—	गुना	गुना	पुरानी छावनी	
	यशवंतराव	श्री पाडुराव	—	गुना	गुना	डुमेलाचक	
	भगवती बाई	श्री रामनारायण	—	गुना	गुना	रूठियाई	
	रघुवीर सिंह	श्री दीवान सिंह	—	गुना	गुना	कुसमोदा	
	प्रताप सिंह	श्री रूपेन्द्र	—	गुना	गुना	सकतपुर	

14.1

योजना	— स्वावलम्बन योजना (मलबरी रेशम)	निजी क्षेत्र में शहतूत विस्तार	निजी क्षेत्र में अरण्डी से रेशम उत्पादन
कार्यक्रम का नाम—	— स्वावलम्बन योजना (मलबरी रेशम)	निजी क्षेत्र में शहतूत विस्तार	निजी क्षेत्र में अरण्डी से रेशम उत्पादन
प्रकार	— रिसायत	अनुज्ञापत्र	अनुज्ञापत्र
उद्देश्य	— बैरोजगारी उन्मूलन मजदूरी प्रथा बंद	निजी क्षेत्र में कृषकों को प्रोत्साहित कर अतिरिक्त लाभ दिलाना	पानी की कमी वाले स्थान पर अरण्डी रेशम उत्पादन कर लाभ अर्जित कराने हेतु
लक्ष्य	— केन्द्र पर उपलब्ध पौधरोपण अनुसार	10 कृषक	थ्ररंक

पात्रता	– भूमिहीन / बैरोजगार महिला	भूमि हो / सिंचाई साधन साधन हो / रेशम कार्य हेतु रूचि होना	भूमि हो / सिंचाई साधन हो
पात्रता का आधार	--"--	--"--	--"--
पूर्वापेक्षाये	– उद्देश्य की पूर्ति	उद्देश्य की पूर्ति	उद्देश्य की पूर्ति
प्राप्त करने की प्रक्रिया	– सादा कागज पर आवेदन	अनुबंध पत्र / स्टाम्प पेपर / सर्वे रिपोर्ट / खसरा नकल आदि	अनुबंध पत्र / स्टाम्प पेपर / सर्वे रिपोर्ट / खसरा नकल आदि
रियासत, अनुज्ञापत्र	–	–	–
आवेदन शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक
आवेदन पत्र का प्रारूप	– सादे कागज पर	शासन द्वारा निर्धारित	–
संलग्नकों की सूची	महिला बैरोजगार बी.पी.एल.	अनुबंध पत्र / सर्वे रिपोर्ट खसरा नकल	अनुबंध पत्र / सर्वे रिपोर्ट खसरा नकल
संलग्नकों का प्रारूप	–	–	–

17.1

1. अखबारों के द्वारा
2. सूचना पटल
3. लोक प्राधिकरण की वेवसाईट
4. अन्य प्रचार प्रसार के साधन

18.1

प्रश्न-1 आपके विभाग द्वार कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है।

उत्तर- हमारे रेशम विभाग में वर्तमान में 3 योजनाएँ च ल रही है।

1. स्वावलम्बन योजना (मलबरी)
2. निजी क्षेत्र में शहतूत विस्तार
3. निजी क्षेत्र में अरण्डी से रेशम उत्पादन

प्रश्न-2 इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है।

उत्तर— इस योजना का लाभ प्रत्येक योजनानुसार अलग-अलग है।

1. स्वावलम्बन योजना में — भूमिहीन/ बैरोजगार महिला
2. निजी क्षेत्र में शहतूत विस्तार— भूमि हो/सिंचाई साधन हो व रेशम कार्य में रूचि होना
3. निजी क्षेत्र में अरण्डी से रेशम उत्पादन — ---“---

18.2

आवेदन पत्र — शासन द्वारा निर्धारित

शुल्क — निरंक

सूचना आवेदन पत्र पर किस तरहसे मांगी जाये — सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

सूचना न देने व अपील करने के संबंध में —

नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

**जिला योजना वर्ष 2007-08 जिला गुना हेतु प्रस्तावित प्रावधान
योजना का नाम – एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार**

अ. मलबरी क्षेत्र

सामान्य योजना –

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सिविधा एवं	बेहटाघाट में नलकूप खनन-1	1.00
	अन्य अधोसंरचना का विकास	एक कूप के गहरीकरण खटकिया	0.50
	योग		1.50

अनुसूचित जाति उपयोजना

क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	रेशम उद्योग विकास कार्य	–	
	कन्वर्सन चार्जस	1000 कि.ग्रा. धागा निर्माण हेतु कन्वर्सन चार्जस 150/- प्रति कि.ग्राम.	1.50
		1000 किलोग्राम कोये का हैण्डलिंग चार्ज 10/- प्रति किलोग्राम	1.00
	कृमिपालन उपकरण	कृमिपालन उपकरण	1.00
	समाग्री प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय	25000 स्व.समूह का चाकी मजदूरी भुगतान 425/- प्रति 100 स्व. समूह	1.06
		25000 स्व.समूह के लिये डिस्ट्रिक्ट 325/- प्रति 100 स्व.समूह	0.81
2	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	1000 किलोग्राम वायबोल्टाईन धागा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि 50/- प्रति किलोग्राम	0.50
		रीलिंग फैक्ट्री राघोगढ़ की मशीनों का संधारण	0.50
		उष्णकोठी निर्माण	1.50
		सामान्य सुविधा अंतर्गत कृषकों को गुणवत्ता युक्त चाकी प्रदाय हेतु उन्नत तकनीक कक्ष का निर्माण	2.00
	योग		9.87

ब. इरी क्षेत्र

अनुसूचित जाति उपयोजना

क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	25 एकड़ निजी क्षेत्र में कृषकों की निजी भूमि में अरण्डी पौधरोपण हेतु 3750/- प्रति इकाई के मान से	0.94
		25 कृषकों के लिये कृमिपालन भवन निर्माण हेतु राज्यांश 5000/- प्रति कृषक के मान से	1.25
		मोटर चलित चरखा धागाकरण हेतु सहायता राशि 2606/- के मान से 5 नग हेतु राज्यांश	0.13
		स्पिनिंग व्हील 10 नग हेतु सहायता राशि 1000/- के मान से राज्यांश	0.10
		इरी कोया भण्डारण के लिये भवन निर्माण खटकिया	3.00
योग			5.42

जिले की कुल प्रावधानित राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	सामान्य	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	कुल योग
1.	एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार				
	मलबरी क्षेत्र	1.50	-	9.87	11.37
	इरी क्षेत्र	-	-	5.42	5.42
	योग	1.50	-	15.29	16.79

**जिला योजना वर्ष 2007-08 जिला शिवपुरी हेतु प्रस्तावित प्रावधान
योजना का नाम – एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार**

अ. मलबरी क्षेत्र

सामान्य योजना –

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सिविधा एवं अन्य अधोसंरचना का विकास	एक नलकूप खनन एवं सहायक सामग्री	1.74
	योग		1.74
अनुसूचित जाति उपयोजना			
क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	रेशम उद्योग विकास कार्य	–	
	कन्वर्सन चार्जस	200 कि.ग्रा. धागा निर्माण हेतु कन्वर्सन चार्जस 150/- प्रति कि.ग्राम.	0.30
		3000 किलोग्राम कोये का हैण्डलिंग चार्ज 10/- प्रति किलोग्राम	0.30
	कृमिपालन उपकरण	कृमिपालन उपकरण	0.80
	समाग्री प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय	5000 स्व.समूह का चाकी मजदूरी भुगतान 425/- प्रति 100 स्व. समूह	0.21
		5000 स्व.समूह के लिये डिस्डिफेक्टेंट 325/- प्रति 100 स्व.समूह	0.16
		आधा एकड़ में नर्सरी	0.41
	योग		2.18

जिले की कुल प्रावधानित राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	सामान्य	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	कुल योग
1.	एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार	1.74	-	2.18	3.92
	मलबरी क्षेत्र	1.74	-	5.42	7.16
	योग	3.48	-	7.60	11.08

**जिला योजना वर्ष 2007-08 जिला अशोकनगर हेतु प्रस्तावित प्रावधान
योजना का नाम – एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार**

अ. मलबरी क्षेत्र

सामान्य योजना –

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सिविधा एवं	दो कूप के गहरीकरण	1.00
	अन्य अधोसंरचना का विकास		
	योग		1.00

अनुसूचित जाति उपयोजना

क्र.	मद	कार्य विवरण	प्रावधानित राशि
1.	रेशम उद्योग विकास कार्य	–	
	कन्वर्सन चार्जस	300 कि.ग्रा. धागा निर्माण हेतु कन्वर्सन चार्जस 150/- प्रति कि.ग्राम.	0.45
		3000 किलोग्राम कोये का हैण्डलिंग चार्ज 10/- प्रति किलोग्राम	0.30
	कृमिपालन उपकरण	कृमिपालन उपकरण	1.50
	समाग्री प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय	8000 स्व.समूह का चाकी मजदूरी भुगतान 425/- प्रति 100 स्व. समूह	0.34
		8000 स्व.समूह के लिये डिस्ट्रिब्यूटेंट 325/- प्रति 100 स्व.समूह	0.26
		आधा एकड़ में नर्सरी	0.41
2	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	200 किलोग्राम वायबोल्टाईन धागा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि 50/- प्रति किलोग्राम	0.10
	योग		3.36

जिले की कुल प्रावधानित राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	सामान्य	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	कुल योग
1.	एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार	-	-	-	-
	मलबरी क्षेत्र	1.00	-	3.36	4.36
	योग	1.00	-	3.36	4.36